

पाप्ट रिमा

# नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी./1-ए-बी 6, विनूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

पत्रांक 2276 / न0नि0(1) / वि0क्ष0-पड़रीना / 2016-17 दिनांक 13 / 01 / 2017

सेवा में,

नियत प्राधिकारी,  
विनियमित क्षेत्र, पड़रीना,  
जनपद-कुशीनगर।

विषय:- विनियमित क्षेत्र, पड़रीना में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या-278/18 पर अनापत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, गोरखपुर को सम्बोधित अपने पत्र संख्या-273/नि0प्रा0वि0क्ष0-पड़रीना दिनांक 31.03.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा क्वालिटी डेवलपर्स द्वारा विनियमित क्षेत्र, पड़रीना में प्रस्तावित व्यवसायिक एवं मल्टीप्लेक्स के निर्माण की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु संवर्धित किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण गोरखपुर खण्ड द्वारा मुख्यालय को पत्रांक-45 दिनांक 29.04.2016 द्वारा परीक्षण एवं अनापत्ति हेतु प्रेषित किया गया है।

2. उपरोक्त के संदर्भ में मुख्यालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या-215 दिनांक 08.06.2016 के अनुपालन में सहयुक्त नियोजक, गोरखपुर खण्ड ने अपने पत्र संख्या-695 दिनांक 22.12.2016 के माध्यम से पड़रीना महायोजना के पार्ट प्लान पर स्थल की स्थिति दर्शाते हुए आख्या उपलब्ध करायी है। प्रकरण का परीक्षण मुख्यालय स्तर पर किया गया एवं निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अन्तर्गत प्रस्तुत मानचित्र पर अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

- 2.1. सिनेमा प्राधिकारी से अनापत्ति/लाइसेन्स प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- 2.2. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी की अनापत्ति प्राप्त किया जाना होगा।
- 2.3. भूकम्परोधी निर्माण से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
- 2.4. स्थल के सामने स्थित महायोजना मार्ग में किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।
- 2.5. प्रस्तावित स्थल नहर से लगा हुआ है। अतः सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्राप्त किया जाना होगा।